<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

5/41 शंकर0 बनाम कजोड़

केस संख्या : 19/23

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व0फ0 उप0। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस एवं दस्तावेज मान पेश नहीं किये हैं। एक अंतिम अवसर दिया जाता है आ0ता0 पेशी पर पेश नहीं करने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 16/1/2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बैनामा फोटो प्रति 5/11/2001 पेश किया। उभयपक्ष की आपत्ति कुरेजात एवं कुरेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/1/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	23/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व0फ0 उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां खारिज की जाती हैं तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] प्रथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:45:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 19/2023
बउनवानी – रामकरण बनाम कजोडमल वगै0
निर्णय दिनांक :–23.01.2025

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 19/2023

वाद प्रस्तुति दिनांक : 17.03.2023

रामकरण पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र छोटू
2. गोपीराम पुत्र घीसा
3. झाबर सिंह पुत्र मालीराम
4. ताराचंद पुत्र मालीराम
5. पदमाराम पुत्र छोटू
6. पीताराम पुत्र घीसा
7. मन्नाराम पुत्र घीसा
8. शंकरलाल पुत्र मालीराम
9. श्योराम पुत्र बालू
10. शान्ति देवी पत्नी मालीराम
11. अमरी देवी पत्नी छोटू
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 23.01.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके ग्राम चंदपुराजाटान, पटवार हल्का बिचपडी, भू–अभिलेख राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 103 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 3.8300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106/257 रकबा 0.1000 हैक्टेयर खसरा नंबर 107 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168 रकबा 2.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278 रकबा 1.7700 हैक्टेयर कुल कि[illegible] रकबा 10.0800 हैक्टेयर में स्थित है। जिसका वादी 1/16 हिस्से का खातेदार [illegible] अपने हिस्सेनुसार भूमि का उपयोग उपभोग कर कृषि उपज का लाभ उठा रहा [illegible] कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित है तथा वादग्रस्त है। भूमि वादी एवं प्रतिवादीग[illegible] को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतू कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया इसलिए वादी को वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। प्रतिवादीगण बिना विभाजन के विशिष्ठ भूभाग पर कब्जा करने भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। अतः उक्त भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Verma
Date: 2025.01.29 11:45:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

किया जाकर उक्त भूमि में वादी के निहित हिस्सा को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की दिनांक 07.05.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ग्राम चंदपुराजाटान, पटवार हल्का बिचपडी, भू–अभिलेख राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 103 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 3.8300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106/257 रकबा 0.1000 हैक्टेयर खसरा नंबर 107 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168 रकबा 2.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278 रकबा 1.7700 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 10.0800 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2024 /1699 दिनांक 13.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता आपित्त कुर्रेजात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर न तो मौके पर गये और ना ही राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना की गई। वादीगण के कुर्रेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही है तथा प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में आपसी राजीनामा दिनांक 04.11.2002 में हुआ था जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है उसको नजर अंदाज करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है निरस्तनय है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि पक्षकारान को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:45:00 IST
Reason: Self Attested

इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की आपत्ति रही है कि आपसी राजीनामा दिनांक 04.11.2002 के अनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव नही बनाये गये पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 07.0.5.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही कर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है उसकी अनुपालना में तहसीलदार जालसू द्वारा विधिवत राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात भेजे गये है। प्रतिवादीगण द्वारा अब इस स्तर पर यह नहीं कहां जा सकता कि बंटवारे के अनुसार कुर्रेजात नहीं बने। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया विधि सम्मत नहीं है, ऐसी सुरत में आपत्तिया पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्त्यिां खारिज की जाती है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. अमरी देवी पत्नी कजोडमल हि. 2/35 राहिन पीएनबी शाखा कालवाड रोड, गोपीराम पुत्र घीसा हि. 1/15 राहिन पीएनबी शाखा बोयतावाला, कजोडमल पुत्र छोटू हि. 8/105, झाबर सिंह पुत्र मालीराम हि. 1/15, ताराचंद पुत्र मालीराम हि. 1/15, पदमाराम पुत्र छोटू हि. 2/15, पीताराम पुत्र घीसा हि. 1/15 राहिन पीएनबी शाखा बोयतावाला, मन्नाराम पुत्र घीसा हि. 1/15 राहिन आईडीबीआई बैंक शाख वैशाली नगर, शंकरलाल पुत्र मालीराम हि. 1/15, श्योराम पुत्र बालू हि. 1/15 राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा, शान्ति देवी पत्नी मालीराम हि. 1/15 राहिन एसबीआई शाखा कालवाड समस्त जातियान् जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 102 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 103 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104/1 रकबा 3.8100 हैटक्येर, खसरा नंबर 105 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106/257 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/1 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/3 रकबा 0.9150 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278/1 रकबा 0.5050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278/3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 9.4500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रामकरण पुत्र घीसा हि. संपूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा वैशाली नगर के हिस्से खसरा नंबर 104/2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.4250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/3 रकबा 0.2850 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:45:00 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजु वर्मा
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 19/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक : 17.03.2023

रामकरण पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र छोटू
2. गोपीराम पुत्र घीसा
3. झाबर सिंह पुत्र मालीराम
4. ताराचंद पुत्र मालीराम
5. पदमाराम पुत्र छोटू
6. पीताराम पुत्र घीसा
7. मन्नाराम पुत्र घीसा
8. शंकरलाल पुत्र मालीराम
9. श्योराम पुत्र बालू
10. शान्ति देवी पत्नी मालीराम
11. अमरी देवी पत्नी छोटू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर ज़िला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर ज़िला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैः–

1. अमरी देवी पत्नी कजोडमल हि. 2/35 राहिन पीएनबी शाखा कालवाड रोड, गोपीराम पुत्र घीसा हि. 1/15 राहिन पीएनबी शाखा बोयतावाला, कजोडमल पुत्र छोटू हि. 8/105, झाबर सिंह पुत्र मालीराम हि. 1/15, ताराचंद पुत्र मालीराम हि. 1/15, पदमाराम पुत्र छोटू हि. 2/15, पीताराम पुत्र घीसा हि. 1/15 राहिन पीएनबी शाखा बोयतावाला, मन्नाराम पुत्र घीसा हि. 1/15 राहिन आईडीबीआई बैंक शाख वैशाली नगर, शंकरलाल पुत्र मालीराम हि. 1/15, श्योराम पुत्र बालू हि. 1/15 राहिन एस[illegible] शाखा भैसावा, शान्ति देवी पत्नी मालीराम हि. 1/15 राहिन एसबी[illegible] जातियान् जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 103 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104/1 रकबा 3.8100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106/257 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/1 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/3 रकबा 0.9150 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:45:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रकबा 0.5050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278/3 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 9.4500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. रामकरण पुत्र घीसा हि. संपूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा वैशाली नगर के हिस्से खसरा नंबर 104/2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.4250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168/278/2 रकबा 0.2850 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.01.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

कलक्टर ... आमेर ...

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:45:00 IST
Reason: SelfAttested